

फर्द अहकाम

बनाम दीपक लाम

यालय

क्रमा 133/12

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य समस्त कार्य में जास्त हैं। अतः पत्रावली को पेश है।	
18/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमरपडा वकालत के कर्तव्य आदिवा नही हुआ गया। वही आदिवा पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश है।	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमरपडा वकील उमरपडा की वकालत की दस्तावेजीय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य ने 95 वादीगण साफित नही होने के कारण वहीगण का वाद खारिज किया जाता है। निम्न पृथक से लिखाया जाकर हुआ गया पत्रावली फौजदारी मुकदमा दिनांक 29/8/25 को पेश है।	

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)